



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.  
(म.प्र.शासन का उपक्रम)  
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल  
Email : mpagrohubpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756  
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्र./मुख्या./उद्यान/प्रमाणित-मसाला बीज/2025-26/2487 दिनांक - 22/9/25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय-वर्ष 2025-26 के लिए प्रमाणित एवं मसाला बीजों की प्रसारित की गई क्रय-विक्रय दरों की वैद्यता अवधि बढ़ाने बाबत।

संदर्भ-निगम का आरसीओ क्रं 4348 दिनांक 06.03.2025

निगम द्वारा संदर्भित आरसीओ के माध्यम से वर्ष 2025-26 के लिए नर्सरी प्रमाणित एवं मसाला बीज के प्रदाय हेतु दरों का प्रसारण किया गया था।

निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए एवं नवीन आर.सी.ओ. में लगने वाले समय के कारण पूर्व प्रसारित दरों की वैद्यता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती हैं :-

| क्रं. | सामग्री का विवरण                         | निगम दर प्रसारण पत्र क्रं./दिनांक                                                                                                                   | वैद्यता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि                       |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.    | प्रमाणित एवं मसाला बीज (हल्दी एवं धनिया) | 934 / 19.06.2025 (प्रमाणित हल्दी)<br>1684 / 31.07.2025 (प्रमाणित धनिया)<br>1730 / 04.08.2025 (प्रमाणित धनिया)<br>2286 / 12.09.2025 (प्रमाणित धनिया) | दिनांक 31.12.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक वैद्य |

उपरोक्तानुसार सामग्रियों की दरें दिनांक 31.12.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिये वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ - 2488  
22-9-25

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
6. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
9. mpfstshelpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

for प्रबंधक (उद्यान)

for प्रबंधक (उद्यान)